संख्या–381 /IX (1)/ATF/ADVANCE/2004-2005

प्रेषक,

पी0सी0 शर्मा,
सचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन
उत्तरांचल, देहरादून ।

नागरिक उड्डयन विभाग   देहरादून:दिनांक 25 अगस्त, 2004

विषय:– **राज्य के वायुयानों के लिए ए0टी0एफ0 के देयकों के भुगतान हेतु जिलाधिकारियों को अग्रिम धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–346/31–7/ए.टी.एफ. क्रय अग्रिम/ 2004–05 दिनांक 16 जून,2004 के सन्दर्भ में मुझसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य के विशिष्ट व्यक्तियों की हवाई यात्राओं के लिए प्रयोग किये जाने वाले हैलीकॉप्टरों के लिये ए0टी0एफ0 की व्यवस्था पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु निम्न विवरणानुसार विभिन्न जनपदों से प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2004–2005 में शासनादेश संख्या–373/59–सतावन/बजट/स0ना0उ0/2004–2005 दिनांक 18–8–2004 द्वारा पूर्व में आपके निवर्तन पर उपलब्ध कराई गई रु0 90,00,000.00 (रूपये नब्बे लाख मात्र) की धनराशि में से रूपये 4,70,000.00 (रूपये चार लाख सत्तर हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर व्यय हेतु अग्रिम आहरण किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	जनपद का नाम	जनपदों से प्राप्त पत्र संख्या एवं दिनांक	वर्ष 2003–2004 में अग्रिम हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4
1	देहरादून	मेमो/ना0नाजिर/तहसील–4 दिनांक 25 मई, 2004	2,00,000
2	उत्तरकाशी	6120/नौ मा0मु0/2004 दि0 26.4.2004	20,000
3	चमोली	—	20,000
4	हरिद्वार	—	20,000
5	टिहरी गढ़वाल	—	20,000
6	पौड़ी गढ़वाल	—	20,000
7	रूद्रप्रयाग	—	20,000
8	पिथौरागढ़	—	20,000
9	चम्पावत	—	20,000
10	अल्मोड़ा	—	20,000
11	बागेश्वर	—	20,000
12	नैनीताल	—	50,000
13	ऊधमसिंहनगर	435/9 है0न0/04 दि0 22.4.04	20,000
	योग	(रूपये चार लाख सत्तर हजार मात्र)	4,70,000

2– उक्त धनराशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सम्बन्धित जिलाधिकारियों को उपलब्ध कराई जायेगी जिसे वे अपने पी0एल0ए0 खाते में रखेंगे तथा सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा इस धनराशि का आवश्यकतानुसार ही व्यय किया जायेगा और इस धनराशि का व्ययावर्तन अन्य मदों में कदापि नहीं किया जायेगा। इस धनराशि के पी0एल0ए0 से आहरण के पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित किया जायेगा कि धनराशि की वास्तविक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है। यदि विगत वित्तीय वर्षों में एटीएफ के देयकों के लिये स्वीकृत अग्रिम असमायोजित हो तो पहले उसके समायोजन एक माह के अन्दर ही सुनिश्चित करने के उपरान्त ही उक्त स्वीकृत किये जा रहे अग्रिम का कोषागार से आहरण किया जायेगा। यदि विगत वर्ष के अग्रिम आहरण के देयक एक माह के उपरान्त भी असमायोजित रहते हैं तो उसका पूर्ण दायित्व सम्बन्धित जिलाधिकारी का ही होगा।

3– उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसमें बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है, उसने उस अधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय किया जायेगा। उक्त व्यय में मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4– उक्त व्यय के सम्बन्ध में जिलाधिकारियों के स्तर पर एक रजिस्टर बनाया जायेगा, जिसमें इस व्यय के सम्बन्ध में अलग विवरण उपलब्ध रहेगा। ए0टी0एफ0 के देयकों की फोटोकापियां अभिलेख में सुरक्षित की जायेगी तथा भुगतान की स्थिति के बाद प्रत्येक त्रैमास में बचत अथवा आवश्यकता की स्थिति से अवगत कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत इस धनराशि का उपयोग न किये जाने की स्थिति में सुसंगत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत धनराशि राजकीय कोषागार में यथासमय जमा करते हुये शासन को अवगत कराया जायेगा।

5– उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के अधीन दी जाती है कि जिलाधिकारी प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र तथा समायोजन की कार्यवाही इसी वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत सुनिश्चित कर ली जायेगी तथा पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या–906/स0ना0उ0/पी0एस0/कैम्प/2001 दिनांक 10 सितम्बर,2001 तथा शासनादेश संख्या–549/स0ना0उ0/पी0एस0/कैम्प/2003 दिनांक 22–8–2003 द्वारा स्वीकृत की गई धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा समायोजन की कार्यवाही तत्काल कर ली जाये।

6– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–2005 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–24 के लेखाशीर्षक 3053–नागर विमानन 80–सामान्य– आयोजनेतर–003 प्रशिक्षण तथा शिक्षा–03 नागरिक उड्डयन 42–अन्य व्यय के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–983/वि0अनु–3, दिनांक 24 अगस्त, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(पी0सी0शर्मा)
सचिव

संख्या–384/IX (1)/ATF/ADVANCE/2004-2005,तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, ओमेरॉग मोटर बिल्डिंग, माजरा,देहरादून ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
4. वित्त अनुभाग–3
5. गार्ड फाइल ।
6. एन0आई0सी0, सचिवालय।

आज्ञा से,

(पी0सी0शर्मा)
सचिव